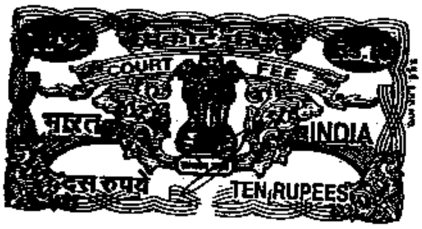

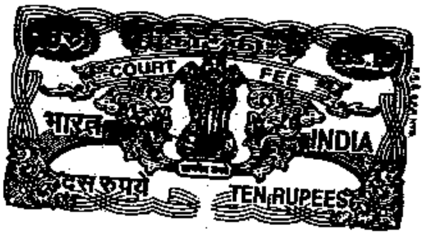

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म०प्र०

नि - 421 - PBR - 16

श्रीमती मंजुलाबाई पिता रामचरनलाल ~~पति वीरेन्द्र~~ गौर

निवासी टिमरनी तहसील टिमरनी जिला हरदा -------- याचिकाकर्ता

बनाम

कोमलराम पिता भगवान गूजर (मृत)

1. निर्भय पिता कोमलराम गूजर

2. गैंदा पिता कोमलराम गूजर

3. इन्द्रा बाई पत्नि गैंदालाल गूजर

सभी निवासी ग्राम पालकी तहसील खिरकिया

जिला हरदा

--------- उत्तरवादी गण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

उपरोक्त निगरानी निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय हरदा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.15 की आवैधानिकता एवं अनियमितता से विपरीत प्रभावित होकर प्रकरण क्र. 1/ए-6 /12-13 से दुखित होकर प्रस्तुत करता है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 721–पीबीआर/16 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
29–6–2016	आवेदिका अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर की आदेशिका दिनांक 30–10–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर की आदेशिका को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । अपर कलेक्टर द्वारा उक्त आदेशिका में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जो कि संहिता की धारा 50 की परिधि में आता हो । ऐसी स्थिति में यह निगरानी प्रथमदृष्टया विधि अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	